


II/निग 0/सतना/2018/01358

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सर्किटकोर्ट  
रीवा म0प्र0

Rs 30/-



अधि० श्री महेंद्र सिंह  
द्वारा देखा/23-2-18  
[Signature]

- 1. अखिलेश्वर सिंह तनय रामदेव सिंह उम्र 54 वर्ष पेशा खेती
  - 2. तीरक सिंह तनय रामदेव सिंह उम्र 58 वर्ष पेशा खेती
- दोनों निवासी ग्राम रेरा तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0 ----- आवेक गण

// बनाम //

पुलमती पत्नी राजीवलोचन सिंह उम्र करीब 70 वर्ष पेशा खेती  
निवासी ग्राम रेरा तहसील अमरपाटन, जिला- सतना म0प्र0

----- अनावेदिका

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षण वृत्त मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 दिनांक 20/06/2017 जो सीमांकन प्रकरण क्र0- 44/अ/2/2016-17 में पारित किया जाकर अनावेक द्वारा कराये गये सीमांकन की पुष्टि की गई।

-----  
निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 द्वारा राजस्व सुविधा- 1959 ई0

[Signature]



[Signature]

(304)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग 0 / सतना / 2018 / 01358

जिला-सतना

अखिलेश सिंह / फूलमती सिंह

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: center;"></p>	

